न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।

सत्रवाद संख्या–154/2016.

(तरियानी थाना कांड संख्या–134/2015)

CNR No. BRSO01-000051-2016

सरकार बनाम् विकाउ पासवान व अन्य

FORM-A

<table>
<tr><td colspan="2">In the Court of Principal Sessions Judge, Sheohar, Bihar
Present:- Sri Deepak Kumar, Principal Sessions Judge, Sheohar,
S.Tr. No-154/2016,
Tariyani P.S. Case No. 134/2015
G.R.No.-580/2015
CNR No. BRSO01-000051-2016
State
Vrs.
Bikau Paswan & Others
Offence:-U/s-363/34, 366 (A)/34 of I.P.C.
(Date of Judgment:-22-06-2026)</td></tr>
<tr><td>COMPLAINANT/INFORMANT</td><td>छठु पासवान, पिता–उमाशंकर सिंह, ग्राम–कुशहर कसवा टोला, थाना–तरियानी जिला–शिवहर।</td></tr>
<tr><td>ACCUSED</td><td>01. विकाउ पासवान, पिता–श्यामलाल पासवान, उम्र करीब–26 वर्ष,
02. गुड्डू पासवान, पिता–जग्रन्नाथ पासवान, उम्र करीब–35 वर्ष,
03. श्यामलाल पासवान, पिता–विगन पासवान, उम्र करीब–45 वर्ष,
तीनों निवासी ग्राम–कुशहर कसवा टोला, थाना–तरियानी, जिला–शिवहर।</td></tr>
<tr><td>REPRESENTED BY COMPLAINANT/ INFORMANT</td><td>श्री सुरेश राय, विद्वान लोक अभियोजक।</td></tr>
<tr><td>REPRESENTED BY ACCUSED PERSON</td><td>श्री संजय कुमार, विद्वान अधिवक्ता।</td></tr>
</table>

FORM-B

Date of Offence	12-09-2015
Date of F. I. R.	12-09-2015
Date of Charge sheet	C.S.-202/2015, Dated-30-11-2015
Date of Cognizance	08-02-2016
Date of Framing Charges	27-09-2016
Date of Commencement of Evidence	15-11-2016
Date of which judgment is reserved	16-05-2026
Date of judgment	22-06-2026
Date of the Sentencing order, if any	N.A.

Accused Details

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offence Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of Detention during Trial for purpose of section 428 of Cr.P.C.
01.	विकाउ पासवान,	24-11-2015	24-11-2015	U/s-363/34, 366(A)/34 of I.P.C.	Acquitted		
02.	गुड्डू पासवान,	24-11-2015	24-11-2015				
03.	श्यामलाल पासवान,	24-11-2015	24-11-2015				

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–154/2016.
(तरियानी थाना कांड संख्या–134/2015)
CNR No. BRSO01-000051-2016

सरकार बनाम् विकाउ पासवान व अन्य

Form-C

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESS

A. Prosecution :

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
01.	बुलटन पासवान,	अ0सा0सं0–01.
02.	दीपलाल साह,	अ0सा0सं0–02.
03.	तेजा पासवान,	अ0सा0सं0–03. (पक्षद्रोही साक्षी)
04.	उमेश पासवान,	अ0सा0सं0–04. (पक्षद्रोही साक्षी)
05.	हुलास पासवान,	अ0सा0सं0–05.
06.	गणेश पासवान, पिता–स्व0 जिमदार पासवान	अ0सा0सं0–06. (पक्षद्रोही साक्षी)
07.	गणेश पासवान, पिता–स्व0 योगी पासवान	अ0सा0सं0–07. (पक्षद्रोही साक्षी)
08.	बच्चन पासवान उर्फ रामबच्चन पासवान,	अ0सा0सं0–08. (पक्षद्रोही साक्षी)

B. Defence Witness, if any ; -

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

C. Court Witness, if any ;-NIL

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURTS EXHIBITS

A. PROSECUTION;-

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
-	-	-

B. DEFENCE ;

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
-	–	–

C. COURT EXHIBITS ; NIL

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
-	-	-

D. MATERIAL OBJECTS ;

SR. NO.	MATERIAL OBJECT NUMBER	DESCRIPTION
-	-	-

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–154/2016.
(तरियानी थाना कांड संख्या–134/2015)
CNR No. BRSO01-000051-2016

सरकार बनाम् विकाउ पासवान व अन्य

उपस्थितः दीपक कुमार
प्रधान सत्र न्यायाधीश,
शिवहर

शिवहर, दिनांक 22 वीं जून, 2026

सत्रवाद संख्या–154/2016

(तरियानी थाना कांड संख्या–134/2015)
CNR No. BRSO01-000051-2016

सरकार

बनाम्

सरकार बनाम् विकाउ पासवान व अन्य

आरोप गठित अंतर्गत धारा – 363 /34, 366 (A)/34
भारतीय दंड संहिता

बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक–श्री सुरेश राय ।
विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री संजय कुमार।

निर्णय

01. प्रस्तुत सत्रवाद में कुल तीन अभियुक्तों–01. विकाउ पासवान, 02. गुड्डू पासवान एवं 03. श्यामलाल पासवान का विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा–363/34, 366 (A)/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराधों हेतु किया गया है।

02. अभियोजन का मामला प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है, जिसमें सूचक ने लिखा है कि मेरी पोती रिंकु कुमारी, जिसकी उम्र–13 वर्ष है, जिसे दिनांक–05.09.2015 को समय लगभग 12 बजे दिन में गॉव से पूरब रमजोखा पोखर पर से गॉव का ही गुड्डू पासवान–पिता जगरनाथ पासवान, श्यामलाल पासवान पिता–बिगन पासवान, विकाउ पासवान–पिता श्यामलाल पासवान, जिनिश पासवान पिता–जनक पासवान, सभी ग्राम–कुशहर कसवा टोला, थाना–तरियानी,

जिला–शिवहर का स्थायी निवासी है, पूर्व से पोखर के अगल–बगल खर में घात लगाये बैठा था। घर से उर्मिला देवी, पति–बच्चु पासवान, रिंकु कुमारी को घास काटने के बहाने घर से पोखर पर लेकर गई, जहॉ जहॉ से चारों अभियुक्त मोटरसाईकिल से रिंकु कुमारी को मुॅह को बॉधकर मोटरसाईकिल से लेकर भाग गया। बच्चों के द्वारा हल्ला–गुल्ला करने पर पता चला तो अभियुक्त के घर गये तो अभियुक्त के पिता श्यामलाल द्वारा बताया गया की लड़की राजी ग्राम में है। मेरे बहन के यहॉ है। तो हमलोग राजी में जगदीश पासवान, गुलटन पासवान, हुलास पासवान, बुधन पासवान राजी ग्राम पहॅुचे और विनोद पासवान के घर से रिंकु कुमारी को बरामद किये, जो विनोद पासवान, श्यामलाल पासवान के साढ़ु के रिश्ते में है और लड़की रिंकु कुमारी को अपने घर पर लेकर चले गये और आगे के लिए हुआ की ग्राम में ही इसका पंचायती होगा कि तुमलोगों जो किये हैं उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभियुक्त नहीं माना और बोला की तुमलोगों को जहॉ जाना है जाओ, हम भी अपनी बच्ची को चुराकर, गायब कर तुमलोगों को फॅसा दूंगा या किसी तरह की घटना करने के बाद वह फॅसा देंगे। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

03. उपरोक्त आवेदन के आधार पर तरियानी थाना कांड संख्या–134/2015, दिनांक–12.09.2015, अंतर्गत धारा–366(A) भारतीय दंड संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के पश्चात् अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी में नामित उपरोक्त तीनों अभियुक्तों–01. विकाउ पासवान, 02. गुड्डू पासवान एवं 03. श्यामलाल पासवान के विरूद्व लगे आरोप को सत्य पाते हुए तथा जिनिश पासवान एवं उर्मिला देवी के अभियुक्तिकरण के बिन्दु पर और अनुसंधान कर जॉच करने के उपरांत निर्णय लिया जाना श्रेयष्कर प्रतीत होगा, इस कांड के

प्राथमिकी के नामज उपरोक्त तीनों अभियुक्तों–01. विकाउ पासवान, 02. गुड्डू पासवान एवं 03. श्यामलाल पासवान के विरूद्व आरोप–पत्र संख्या–202/2015, दिनांक–30.11.2015, अंतर्गत धारा–363, 366(A)/34 भारतीय दंड संहिता में न्यायालय के समक्ष समर्पित किया। विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर के द्वारा प्राथमिकी, आरोप–पत्र एवं कांड दैनिकी के अवलोकन के पश्चात् दिनांक–08.02.2016 को प्राथमिकी के नामित एवं आरोपपत्रित उपरोक्त नामित तीनों अभियुक्तों–01. विकाउ पासवान, 02. गुड्डू पासवान एवं 03. श्यामलाल पासवान के विरूद्व के विरूद्व अंतर्गत धारा–363, 366 (A)/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामले को सत्य पाते हुए अपराध का संज्ञान ग्रहण किया गया तथा वाद को विद्वान सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दिनांक–07.09.2016 को दौरा सुपूर्दगी का आदेश दिया गया, जो दिनांक–23.09.2016 को विद्वान सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हस्तगत कराया गया।

04. प्रस्तुत मामलें में उपरोक्त सभी तीनों अभियुक्तों–01. विकाउ पासवान, 02. गुड्डू पासवान एवं 03. श्यामलाल पासवान के विरूद्व दिनांक–27.09.2016 को अंतर्गत धारा–363, 366 (A)/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप का गठन कर उन्हें हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे इंकार करते हुए सभी तीनों अभियुक्तों ने विचारण का दावा किया।

05. उपरोक्त सभी तीन अभियुक्तों–01. विकाउ पासवान, 02. गुड्डू पासवान एवं 03. श्यामलाल पासवान के विरूद्व अंतर्गत धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिनांक–07.04.2026 को बयान अभिलिखित किया गया। बयान में उपरोक्त सभी तीनों अभियुक्तों के द्वारा घटना से इंकार किया गया तथा अपने–अपने को निर्दोष बताया।

06. न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष उपरोक्त सभी तीनों अभियुक्तों के विरूद्व लगाए गए सभी आरोपों को सुसंगत साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं ?

मंतव्य

07. अभियोजन की ओर से अपने मामले के समर्थन में आरोप–पत्र के कॉलम–13. में वर्णित कुल दस साक्षियों में से आठ साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–01. बुलटन पासवान, 02. अ0सा0सं0–02. दीपलाल साह, 03. अ0सा0सं0–03. तेजा पासवान (पक्षद्रोही साक्षी), 04. अ0सा0सं0–04. उमेश पासवान (पक्षद्रोही साक्षी), 05. अ0सा0सं0–05. हुलास पासवान, 06. अ0सा0सं0–06. गणेश पासवान, पिता–स्व0 जिमदार पासवान (पक्षद्रोही साक्षी), 07. अ0सा0सं0–07. गणेश पासवान, पिता–स्व0 योगी पासवान (पक्षद्रोही साक्षी) एवं 08. अ0सा0सं0–08. बच्चन पासवान उर्फ रामबच्चन पासवान (पक्षद्रोही साक्षी) हैं।

08. दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई भी प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया है।

09. बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अ0सा0सं0–01. बुलटन पासवान ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–दिनांक–05.09.2015 को करीब बारह बजे दिन की घटना है। उस वक्त मैं अपने घर पर था तो लड़का सब हल्ला–गुल्ला किये, तब हमलोग रमजोखा पोखर पर गया तो वहॉ बच्चा लोग कहने लगा कि रिंकु कुमारी, उम्र–तेरह वर्ष को विकाउ पासवान एवं गुड्डू पासवान मोटरसाईकिल से लेकर चले गये हैं। विकाउ पासवान की चाची उर्मिला देवी घास काटने के बहाने से रिंकु कुमारी को वहॉ लेकर गई थी।

उसके बाद हमलोग विकाउ पासवान के पिता श्यामलाल पासवान के पास गये। मेरे साथ परिवार के लोग भी थे। वहॉ श्यामलाल पासवान मोबाईल फोन से पता करके बताया कि लड़की सा0–राजी में विकाउ पासवान के मौसा विनोद पासवान के घर पर है। तब मैं, छठु पासवान, हुलास पासवान, बच्चन पासवान, जगदीश पासवान के साथ विनोद पासवान के घर पर सा0–राजी गये एवं वहीं से रिंकु कुमारी विनोद के घर में मिली। उसके बाद रिंकु को लेकर हमलोग थाना पर गये एवं थानाप्रभारी बोले कि आपस में सलट लो। इसके बाद पंचायती गॉव में हुई, परन्तु मामला नहीं सलटा। तब थाना पर जाकर छठु पासवान केस किये। आज अभियुक्त श्यामलाल पासवान न्यायालय में उपस्थित हैं एवं मैं अन्य शेष अभियुक्तों को भी देखकर पहचान सकता हूॅ।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–इस वाद के सूचक गॉव घर के नाता से मेरे चाचा लगेंगे। मैं नहीं जानता कि उसी दिन की घटना को लेकर उर्मिला देवी ने छठु पासवान एवं अन्य पर केस किया है। उस पोखरा के भिन्डा के बाद चारों तरफ से खर है एवं उसके बाद खेत है। बरसात के मौसम में घटना नहीं घटी थी। रोड से घटनास्थल तक जाने के लिए पगडंडी जैसा रास्ता है, जिससे साईकिल/मोटरसाईकिल आ–जा सकती है। मेरा घर घटनास्थल से करीब आधा कि0मी0 की दूरी पर है। मैं करीब 12:10 / 12:15 बजे घटनास्थल पर पहुॅच गया था। वहॉ पर पहुॅचने के बाद मुझे वहॉ पर बच्चों से घटना के विषय में जानकारी हुई। रिंकु एवं विकाउ स्वजातिय है। मैं नहीं जानता कि घटना के पहले से रिंकु एवं विकाउ पासवान के बीच प्रेम–प्रसंग चल रहा था। रिंकु के जन्म–तिथि का कागज देखने का मौका मुझे नहीं मिला है। दरोगाजी इस केस में मेरा बयान नहीं लिए थे। ऐसी बात नहीं है कि बरसात के कारण उस स्थान पर पूरा पानी भरा हुआ

था एवं मोटरसाईकिल का वहॉ जाना सम्भव नहीं था एवं अभियुक्तगण उससे पहले तरियानी थाना कांड संख्या–133/2015 दर्ज करवाये थे, उसी से बचने के लिए रिंकु कुमारी को छिपा दिया गया था, जो कि उसी दिन बरामद हो गई।

11. अ0सा0सं0–02. दीपलाल साह ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–मैं छठु पासवान एवं गुड्डू पासवान को जानता हूॅ। इन दोनों के बीच पंचायती हुई थी लड़का–लड़की के विवाद को लेकर। आज न्यायालय में अभियुक्तगण गुड्डू पासवान एवं एक और अभियुक्त उपस्थित है, जिसे नाम से नहीं, चेहरा से पहचानता हूॅ।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–अभियुक्त गुड्डू पासवान मेरा ग्रामीण है, इसीलिए मैं इसे पहचानता हूॅ। मेरे समक्ष कोई घटना नहीं घटी थी।

12. अ0सा0सं0–03. तेजा पासवान ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–मैं अपने गॉव के छठु पासवान एवं गुड्डू पासवान को जानता हूॅ। मैं नहीं जानता कि उन दोनों के बीच कोई पंचायती हुई थी या नहीं। दारोगा मेरा बयान नहीं लिए थे।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–उपरोक्त दोनों अभियुक्तगण ग्रामीण हैं, इसीलिए मैं उन्हें पहचानता हूॅ।

13. अ0सा0सं0–04. उमेश पासवान ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–मैं अपने गॉव के छठु पासवान, गुड्डू पासवान को जानता, पहचानता हूॅ। मेरी जानकारी में नहीं है कि इन दोनों के बीच में कभी पंचायती हुई थी या नहीं। रिंकु कुमारी छठु पासवान की पोती है। उक्त रिंकु कुमारी के साथ हुई किसी घटना की जानकारी नहीं है। दारोगाजी मेरा बयान नहीं लिए थे।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–मैं प्रायः अपने गॉव में ही रहता हूॅं।

14. अ0सा0सं0–05. हुलास पासवान ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–घटना आज से लगभग एक वर्ष दस माह पहले की बारह बजे दिन की है। उस समय मैं अपने उक्त गॉव में अपने घर पर था कि मालुम हुआ कि रिंकु कुमारी को उर्मिला देवी घास काटने के लिए पोखर पर ले गई कि वहॉ से रिंकु कुमारी लापता हो गयी, वहॉ से गुड्डू पासवान, जिनिस पासवान, विकाउ पासवान, श्यामलाल ही रिंकु कुमारी को अपने साथ ले गये। उक्त बात गॉव के दो–तीन बच्चों ने मुझे बताया तो मैं श्यामलाल के यहॉ जाकर उनसे पुछा तो वे बोले कि मैं नहीं जानता, उसके करीब दस मिनट बाद श्यामलाल बोले कि लड़की यानी रिंकु कुमारी उनके साढ़ु के यहॉ ग्राम–राजी में है। तब मैं, जगदीश पासवान, छठु पासवान, बच्चन पासवान, गुलटन पासवान राजी गॉव में श्यामलाल पासवान के साढ़ु के यहॉ गये तो उनके घर से लड़की यानी रिंकु कुमारी बरामद हुई। रिंकु कुमारी को हमलोग अपने गॉव कुशहर लाये। उस दिन कोई केस पुलिस में नहीं किया गया, यह सोचकर की गॉव में ही पंचायती से फैसला होगा। रिंकु कुमारी को गॉव कुशहर लाने के दो दिन बाद गॉव में ही ब्रह्म स्थान पर पंचायती बैठी, जिसमें पंच में दीपलाल साह, उमेश पासवान बलॉक प्रमुख, वार्ड नं0–07. के वार्ड मेम्बर गणेश पासवान, वार्ड नं0–08. के वार्ड मेम्बर एक अन्य गणेश पासवान थे। उस पंचायती में गॉव के अन्य बहुत से लोग भी मौजूद थे। उस पंचायती में औरतों के बीच झगड़ा–झंझट हो गया, जिससे मुदालह लोग नहीं माने, तो तरियानी थाना में रिंकु कुमारी के बाबा (पितामह) छठु पासवान ने केस किया। उक्त सभी मुदालहो, जिनमें

श्यामलाल पासवान–हाजिर अदालत तथा विकाउ पासवान, गुड्डू पासवान सम्मिलित हैं, को जानता–पहचानता हूँ।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–श्यामलाल के उक्त साढ़ु एवं साली का नाम नहीं जानता। इस केस के सूचक छठु पासवान गॉव के नाते मेरे चाचा लगते हैं, स्वतः कहते हैं कि मुदालह श्यामलाल पासवान–हाजिर अदालत मेरे चाचा लगते हैं। उर्मिला देवी ने छठु पासवान एवं अन्य के विरूद्व तरियानी थाना कांड संख्या–133/2015 दर्ज करवायी है या नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। रिंकु कुमारी गॉव के नाते मेरी भतीजी लगती है। रिंकु कुमारी की जन्मतिथि क्या है, मैं नहीं जानता। मेरे घर से वह स्थान, जहॉ से रिंकु कुमारी को लापता किया गया, करीब बीस लग्गी दूर है। जहॉ पर घटना घटी, उसके उत्तर पोखर का भिण्ड, पूरब एवं पश्चिम दोनों ओर भी पोखर का भिण्ड। पोखर में ही घटना हुई, पोखर के पूर्वी भिण्डा से। उक्त घटना के समय उक्त पोखर के भिण्डा के चारों तरफ खेत में धान नहीं लगा था। उस समय वहॉ चारों तरफ कहीं भी धान नहीं रोपा गया था। पोखर पर जाने के लिए पूरब से चिमनी, ईंट भट्ठा वाला रोड है। श्यामलाल के उक्त साढ़ु के यहॉ हमलोग घटना के दिन ही पॉच बजे शाम को गये थे। हमारे गॉव से राजी गॉव करीब छः–सात कि0मी0 दूर है। वहॉ हमलोग सभी केवल दो मोटरसाईकिल से, जिनमें से एक मोटरसाईकिल पर तीन व्यक्ति तथा दूसरे मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति सवार होकर गये थे। उस समय श्यामलाल के साढ़ु के घर पर केवल उनका साढ़ु ही था, और कोई नहीं था। वहॉ उनके साढ़ु से कहकर उनके घर से लड़की रिंकु को निकलवाये, तब रिंकु के साथ हम सभी लोग उसी दिन अपने गॉव, अपने–अपने घर करीब छः बजे शाम को वापस आ गये। उक्त घटना के सिलसिले में घटना के पॉच दिन बाद अपने गॉव में ही पुलिस के बड़ा बाबू के सामने बयान

दिया था। मैं दारोगा को नहीं बताया था कि उक्त पंचायती में कौन–कौन लोग पंच थे। यह कहना गलत है कि उर्मिला देवी के साथ घटना कारित की गयी थी और उसी को लेकर उक्त पंचायती बैठी, जिसमें उर्मिला देवी के मामले पर निर्णय नहीं हो सका एवं झगड़ा हो गया और उर्मिला देवी के साथ घटी उक्त घटना में अनावश्यक दबाव देने हेतु यह झूठा केस किया गया एवं मैं झूठी गवाही दिया हूँ।

15. अ0सा0सं0–06. गणेश पासवान, पिता–स्व0 जिमदार पासवान ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–घटना के विषय में कुछ नहीं जानता। दारोगाजी मेरा बयान नहीं लिए थे।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–सभी अभियुक्तगण मेरे गॉव के हैं, इसलिए मैं उन्हें पहचानता हूँ।

16. अ0सा0सं0–07. गणेश पासवान, पिता–स्व0 योगी पासवान ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–घटना के विषय में कुछ नहीं जानता। दारोगाजी मेरा बयान नहीं लिए थे।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–मैं प्रायः घर पर ही रहता हूँ।

17. अ0सा0सं0–08. बच्चन पासवान उर्फ रामबच्चन पासवान, ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–रिंकु देवी मेरे चाचा विरेन्द्र पासवान की लड़की है एवं छठु पासवान की पोती है। घटना के विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। दारोगा ने मेरा बयान नहीं लिया था।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–मैं प्रायः घर पर ही रहता हूँ।

18. अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा कथन किया गया है कि प्रस्तुत विचारण वाद में परीक्षित कराये गये कुल आठ साक्षियों में से पॉच साक्षी पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं। घटना के दिन ही सूचक की अपहृत पोती को उसके परिजनों के द्वारा बरामद कर लिया गया था।

19. प्रस्तुत वाद में बहस के दौरान बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए तक दिया गया है कि–प्रस्तुत वाद में अभियोजन के द्वारा कुल आठ साक्षियों का साक्ष्य विद्वान न्यायालय के समक्ष कराया गया है, जिसमें पॉच साक्षियों को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, जिन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया है। सूचक एवं अनुसंधानक जैसे महत्वपूर्ण साक्षियों का साक्ष्य नहीं कराया गया है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभाष है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष सभी संदेहों से परे अभियुक्तगण के विरूद्व गठित आरोपों को सिद्व करने में पूर्ण रूप से असफल सिद्व हुए है। अतः प्रार्थना है कि अभियुक्तगण के विरूद्व गठित सभी आरोपों से उन्हें निर्दोष साबित करते हुए आरोप मुक्त किया जाये।

20. उभय पक्षों के बहस सुनने, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत वाद में कुल आठ साक्षियों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है, जिसमें पॉच साक्षियों–01. अ0सा0सं0–03. तेजा पासवान, 02. अ0सा0सं0–04 उमेश पासवान, 03. अ0सा0सं0–06. गणेश पासवान, पिता–स्व0 जिमदार पासवान, 04. अ0सा0सं0–07.

गणेश पासवान, पिता–स्व0 योगी पासवान, एवं 05. अ0सा0सं0–08. बच्चन पासवान उर्फ रामबच्चन पासवान को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। जबकि, शेष तीन अन्य साक्षी–अ0सा0सं0–01. बुटन पासवान, अ0सा0सं0–02. दीपलाल साह एवं अ0सा0सं0–05. हुलास पासवान हैं। सूचक एवं अनुसंधानक जैसे महत्वपूर्ण साक्षी परीक्षित नहीं हुए हैं।

अ0सा0सं0–01. बुलटन पासवान, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से दिनांक–05.09.2015 को करीब बारह बजे दिन की घटना होने, घटना के समय अपने घर पर होने, लड़का सब के द्वारा हल्ला–गुल्ला करने पर रामजोखा पोखर पर जाने पर बच्चा लोग के द्वारा यह कहने की रिंकु कुमारी, उम्र–तेरह वर्ष को विकाउ पासवान एवं गुड्डू पासवान (दोनों विचारण अभियुक्त) मोटरसाईकिल से लेकर चले जाने, विकाउ पासवान की चाची उर्मिला देवी के द्वारा घास काटने के बहाने रिंकु कुमारी को वहॉं लेकर जाने, परिवार के लोगों के साथ विकाउ पासवान के पिता श्यामलाल पासवान (विचारण अभियुक्त) के यहॉं जाने एवं उनके द्वारा मोबाईल फोन से पता करके बताने की लड़की सा0–राजी में विकाउ पासवान के मौसा विनोद पासवान के घर पर होने, तब स्वयं, छठु पासवान (प्रस्तुत वाद के सूचक), हुलास पासवान (अ0सा0सं0–05), बच्चन पासवान (अ0सा0सं0–08), जगदीश पासवान के साथ विनोद पासवान के घर जाने एवं वहॉं से रिंकु कुमारी के मिलने, वहॉं से रिंकु कुमारी को लेकर थाना पर जाने, थानाप्रभारी के द्वारा आपस में सलट लो की बात कहने, उसके बाद गॉंव में पंचायती होने, परन्तु मामला नहीं सलटने पर थाना पर जाकर छठु पासवान के द्वारा केस करने, न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त श्यामलाल पासवान को पहचानने एवं अन्य अभियुक्तों को भी देखकर पहचानने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में सूचक को गॉंव के नाते से चाचा लगने, यह नहीं जानने

की उसी दिन की घटना को लेकर उर्मिला देवी के द्वारा छठु पासवान (सूचक) एवं अन्य पर केस किये जाने, घटनास्थल तक जाने के लिए पगडंडी जैसा रास्ता, जिससे साईकिल/मोटर साईकिल आ–जा सकता है होने, घटनास्थल से उसके घर की दूरी करीब आधा कि0मी0 होने, करीब 12:10/12:15 बजे घटनास्थल पर पहुँचने पर वहॉ पर बच्चों से घटना के विषय में जानकारी होने, रिंकु एवं विकाउ के स्वजातीय होने, यह नहीं जानने की घटना के पहले से ही दोनों के बीच प्रेम–प्रसंग चल रहा था होने, रिंकु के जन्मतिथि का कागज देखने का उसे मौका नहीं मिलने, दारोगाजी के द्वारा उसका इस केस में बयान नहीं लेने, दारोगाजी के द्वारा इस केस में उसका बयान नहीं लेने की बात कहा है।

इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, क्योंकि इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में बच्चों के द्वारा घटना के बारे में जानकारी देने की बात कहा है, साथ ही इस साक्षी ने यह भी कहा है कि श्यामलाल पासवान (विचारण अभियुक्त) के द्वारा ही मोबाईल फोन पर पता कर रिंकु कुमारी के सा0–राजी में विनोद पासवान के घर पर होने, जहॉ से रिंकु कुमारी बरामद की गई है, की भी बात कहा है। इस तरह इस साक्षी के साक्ष्य से विरोधाभाष उत्पन्न होता है।

अ0सा0सं0–02. दीपलाल साह, ने अपने परीक्षण में मुख्य रूप से छठु पासवान (सूचक) एवं गुड्डू पासवान (विचारण अभियुक्त) को ग्रामीण होने के कारण जानने, इन दोनों के बीच लड़का–लड़की के विवाद को लेकर पंचायती होने, न्यायालय में उपस्थित गुड्डू पासवान एवं एक अन्य अभियुक्त को चेहरा देखकर ग्रामीण होने के कारण पहचानने एवं उसके समक्ष कोई घटना नहीं घटी होने की बात कहा है।

इस प्रकार यह साक्षी भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और इस साक्षी के साक्ष्य से कोई ऐसा तथ्य परिलक्षित नहीं होता है, जिससे विचारण अभियुक्तों के द्वारा कथित घटना कारित करने या उसमें संलिप्तता के संबंध में कोई स्पष्ट तथ्य प्रकाश में आता हो।

अ0सा0सं0–03. तेजा पासवान, जिन्हें अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, ने अपने परीक्षण में छठु पासवान (सूचक) एवं गुड्डू पासवान (विचारण अभियुक्त) को ग्रामीण होने के कारण जानने, यह नहीं जानने की दोनों के बीच पंचायती हुई थी या नहीं तथा दारोगा के द्वारा उसका बयान नहीं लेने की बात कहा है। इस प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से कोई तथ्य परिलक्षित नहीं होता है कि जिससे कथित घटना कारित करने या उसमें अभियुक्तगण की संलिप्तता के संबंध में कोई स्पष्ट तथ्य प्रकाश में आता हो।

अ0सा0सं0–04. उमेश पासवान, जिन्हें अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, ने अपने परीक्षण में छठु पासवान (सूचक) एवं गुड्डू पासवान (विचारण अभियुक्त) को ग्रामीण होने के कारण जानने, यह नहीं जानने की दोनों के बीच पंचायती हुई थी या नहीं तथा दारोगा के द्वारा उसका बयान नहीं लेने की बात कहा है। इस प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से कोई तथ्य परिलक्षित नहीं होता है कि जिससे कथित घटना कारित करने या उसमें अभियुक्तगण की संलिप्तता के संबंध में कोई स्पष्ट तथ्य प्रकाश में आता हो।

अ0सा0सं0–05. हुलास पासवान, ने अपने परीक्षण में मुख्य रूप से आज से लगभग एक वर्ष दस माह पहले बारह बजे दिन की घटना होने, घटना के समय अपने गॉव में अपने घर पर होने, मालूम होने की रिंकु कुमारी को उर्मिला देवी घास काटने के लिए पोखरा पर ले जाने, जहॉ से उसके लापता होने, वहॉ से गुड्डू

पासवान, जिनिस पासवान, विकाउ पासवान, श्यामलाल पासवान के द्वारा रिंकु कुमारी को अपने साथ ले जाने की बात गॉव के दो–तीन बच्चों के द्वारा उसे बताने पर श्यामलाल (विचारण अभियुक्त) के यहॉ जाकर उनसे पूछने पर यह बताने की मैं नहीं जानता, करीब दस मिनट बाद श्यामलाल के द्वारा रिंकु कुमारी के उनके साढु के यहॉ राजी गॉव में होने, तब स्वयं, जगदीश पासवान, छठु पासवान, बच्चन पासवान, गुलटन पासवान के साथ राजी गॉव में श्यामलाल पासवान के साढु के यहॉ जाने पर रिंकु कुमारी को वहॉ से बरामद होने, रिंकु कुमारी को लेकर कुशहर आने, उस दिन पुलिस में कोई केस यह सोंचकर नहीं करने की गॉव में ही पंचायती में फैसला होने, रिंकु कुमारी के कुशहर आने के दो दिन बाद गॉव में ही ब्रह्म स्थान पर पंचायती बैठने, जिसमें पंच के रूप में दीपलाल साह, उमेश पासवान ब्लॉक प्रमुख, वार्ड नम्बर–07. के वार्ड मेम्बर गणेश पासवान, वार्ड नम्बर–08. के वार्ड मेम्बर एक अन्य गणेश पासवान होने, पंचायती में गॉव के अन्य बहुत से लोग के मौजूद होने, उक्त पंचायती में औरतों के बीच झगड़ा–झंझट हो जाने, जिससे मुदालह लोग के नहीं मानने पर रिंकु कुमारी के बाबा छठु पासवान के द्वारा तरियानी थाना में केस करने, मुदालहगण को जानने–पहचानने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में श्यामलाल पासवान के उक्त साढु एवं साली का नाम नहीं जानने, छठु पासवान (सूचक) एवं श्यामलाल पासवान (विचारण अभियुक्त) को गॉव के नाते चाचा लगने, उर्मिला देवी के द्वारा छठु पासवान एवं अन्य के विरूद्व तरियानी थाना कांड संख्या–133 / 2015 दर्ज कराया या नहीं कराये जाने के संबंध में जानकारी नहीं होने, रिंकु कुमारी को गॉव के नाते भतीजी लगने, उसकी जन्मतिथि क्या है, जानकारी नहीं होने, घटनास्थल से उसके घर की दूरी करीब बीस लग्गी दूर होने,

घटनास्थल की चौहद्दी बताने, श्यामलाल के उक्त साढ़ु के घर स्वयं एवं अन्य के द्वारा घटना के दिन ही शाम के पॉच बजे दो मोटरसाईकिल से, जिस पर एक मोटरसाईकिल पर तीन तथा दूसरे मोटरसाईकिल पर दो व्यक्तियों के जाने, उसके गॉव से राजी गॉव की दूरी करीब छः–सात कि0मी0 होने, उस समय श्यामलाल के घर पर सिर्फ उसके ही होने, श्यामलाल के साढ़ु से कहकर उनके घर से रिंकु को निकलवाने और रिंकु के साथ सभी लोगों के साथ उसी दिन अपने गॉव, अपने–अपने घर करीब छः बजे शाम को वापस आ जाने, उक्त घटना के सिलसिले में घटना के पॉच दिन बाद अपने गॉव में ही पुलिस के बड़ा बाबू के सामने बयान देने, दारोगाजी को यह नहीं बताने की उक्त पंचायती में कौन–कौन लोग पंच थे, की बात कहा है।

इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि यह साक्षी भी घ टना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, क्योंकि इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में बच्चों के द्वारा घटना के बारे में जानकारी देने की बात कहा है, साथ ही सूचक की पोती को घटना के दिन ही बरामद कर लिये जाने की भी बात कहा है। इस तरह इस साक्षी के साक्ष्य कथित घटना कारित किये जाने में अभियुक्तगण की संलिप्तता या उनके द्वारा ही घटना कारित की गई है, के संबंध में कोई स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है।

अ0सा0सं0–06. गणेश पासवान पिता–स्व0 जिमदार पासवान, जिन्हें अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, ने अपने परीक्षण में घटना के विषय में कुछ नहीं जानने, दारोगाजी के द्वारा उसका बयान नहीं लेने एवं मुदालहगण को गॉव के होने के कारण पहचानने की बात कहा है। इस प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से कोई ऐसा तथ्य परिलक्षित नहीं होता है कि जिससे

कथित घटना कारित करने या उसमें अभियुक्तगण की संलिप्तता के संबंध में कोई स्पष्ट तथ्य प्रकाश में आता हो।

अ0सा0सं0–07. गणेश पासवान पिता–स्व0 योगी पासवान, जिन्हें अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, ने अपने परीक्षण में घटना के विषय में कुछ नहीं जानने, दारोगाजी के द्वारा उसका बयान नहीं लेने की बात कहा है। इस प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से कोई ऐसा तथ्य परिलक्षित नहीं होता है कि जिससे कथित घटना कारित करने या उसमें अभियुक्तगण की संलिप्तता के संबंध में कोई स्पष्ट तथ्य प्रकाश में आता हो।

अ0सा0सं0–08. बच्चन पासवान उर्फ रामबच्चन पासवान, जिन्हें अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, ने अपने परीक्षण में रिंकु देवी को उसके चाचा विरेन्द्र पासवान की लड़की एवं छठु पासवान की पोती होने, घटना के विषय में कुछ नहीं जानने, दारोगाजी के द्वारा उसका बयान नहीं लेने की बात कहा है। इस प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से कोई ऐसा तथ्य परिलक्षित नहीं होता है कि जिससे कथित घटना कारित करने या उसमें अभियुक्तगण की संलिप्तता के संबंध में कोई स्पष्ट तथ्य प्रकाश में आता हो।

21. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, विवेचित तथ्यों, वाद की प्रकृति, पत्रावली पर उपलब्ध साक्षियों के साक्ष्य के परिशीलन/अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रस्तुत वाद के विचारण के सभी तीनों अभियुक्तों–01. विकाउ पासवान, 02. गुड्डू पासवान एवं 03. श्यामलाल पासवान के द्वारा घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट रूप से तथ्य सामने नहीं आया है और इन तीनों अभियुक्तों के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरूद्व लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सभी संदेहो से परे

साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में सभी अभियुक्तगण साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त होने के योग्य हैं। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है–

आदेश

22. अतः उपरोक्त नामित सभी तीनों विचारण अभियुक्तों–01. विकाउ पासवान, 02. गुड्डू पासवान एवं 03. श्यामलाल पासवान को भारतीय दंड संहिता की धारा–363/34, 366 (A)/34 के अंतर्गत पर्याप्त अभियोजन साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है एवं उन्हें तथा उनके जमानतदारों को उनके बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, संशोधित वो हस्ताक्षरित होने के बाद
आज दिनांक 22.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित एवं शुद्धिकृत
ह0/–
(दीपक कुमार)
प्रधान सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
दिनांक–22.06.2026.

ह0/–
(दीपक कुमार)
प्रधान सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
दिनांक–22.06.2026.

Date of Judgment	22.06.2026
Date of Reserving Judgment	16.05.2026
Uploading Date	22.06.2026
Uploaded By	Sanjeev Kumar, (Steno)